रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.—33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2668] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935
No. 2668] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

का.आ. 3515(अ).—अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन, अन्तरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 30 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा उनसे संबंधित संदर्भों को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को निर्देश करना था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट तारीख 29 मार्च, 2011 से एक वर्ष या उस तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था;

और उक्त अधिकरण के अनुरोध पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय–समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 653(अ), तारीख 29 मार्च, 2012 का.आ. 2339(अ), तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013, का.आ. 2939(अ), तारीख 27 सितंबर, 2013 द्वारा 30 नवंबर, 2013 तक बढ़ाई गई थी;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि, जिसे वह आवश्यक समझे, और अवधि के लिए बढा सकेगी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 31 जनवरी 2014, तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 17/1/2007–बी.एम.]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

S.O. 3515(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal has submitted its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on the 30th December, 2010;

And whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have preferred their respective references, to the said Tribunal under sub-section (3) of Section 5 of the said Act on 29th March, 2011;

And whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of Section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;

And whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of Section 5 of the said Act was extended from time to time *vide* notifications number S.O. 653(E), dated the 29th March, 2012, S.O. 2339(E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916(E), dated the 2nd April, 2013 and S.O. 2939(E), dated the 27th September, 2013 up to the 30th November, 2013;

And whereas, under sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government has power to extend the period of submission of further report for such further period as it considers necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period up to 31st January, 2014.

[F. N. 17/1/2007-BM]

URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.